न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजि0, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

दण्डवाद सॅ0–449/2012

आरोप

मैं प्रीती मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा आप अभियुक्तगण महबूब पहलवान, यूनुस उर्फ मस्ता व नईम पर निम्न आरोप आरोपित करती हूँ:–

1– यह कि दिनांक–25.10.2011 को समय 03.00बजे दिन धोबियान मस्जिद के पास कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद आपने वादी मुकदमा तथा उसकी पत्नी को लात घूंसों व लाठी डंडोंसे मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया जिससे कि वह लोकशांति भंग कर सकें। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने जान से मारने का भय दिखाकर वादी मुकदमा व उसके अन्य साथियों से 5–5 हजार रू0 की दुकान लगाने की एवज में मांग की । इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 386 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्वारा निर्देश देतीं हूँ कि उपरोक्त आरोपों पर आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–30.05.2019

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिनसे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनॉक–30.05.2019

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।